

प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022  
प्र. इ. रि. सं. .... 20519/2022 दिनांक..... 25/5/2022
2. (I) \* अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये-7ए  
(II) \* अधिनियम ...भा.दं.सं..... धारायें 120बी  
(III) \* अधिनियम ..... धारायें .....  
(IV) \* अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 521 ..... समय . 7.15 P.M.,  
(ब) अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक 24.05.2022 समय 04:06 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 16.05.2022 समय 02:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित
5. घटनास्थल :- प्लॉट नम्बर 104, हिम्मत नगर पूर्व, गोपालपुरा मोड, जयपुर  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- दक्षिण-पश्चिम लगभग 04 किमी.  
(ब) पता  
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम श्री जगदीश कुमार  
(ब) पिता/पति का नाम श्री मंघाराम  
(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब .....61 साल.....  
(द) राष्ट्रियता भारतीय.....  
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .  
जारी होने की जगह .....
- (र) व्यवसाय - व्यवसाय  
(ल) पता - प्लॉट नम्बर 104, हिम्मत नगर पूर्व, गोपालपुरा मोड, टोक रोड जयपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
1. आरोपी श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480, प्राईवेट व्यक्ति।  
2. अन्य
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-...कोई नहीं.
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)..  
.....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य (2,00,000 व 1,00,000रूपये)
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

*R. N. S.*

महोदय,


निवेदन है कि दिनांक 16.05.2022 को समय 02:15 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील को श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी एस.यू. द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बैठे हुये परिवादी का परिचय श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री मंधाराम, निवासी- प्लॉट नम्बर 104, हिम्मत नगर पूर्व, गोपालपुरा मोड, टोक रोड जयपुर के रूप में करवाते हुये व परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये टाईपशुदा प्रार्थना पर " CI सुभाष मील आवश्यक विधिक कार्यवाही करें" का नोट अंकित कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपूद करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश फरमाये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री जगदीश कुमार को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया। परिवादी का टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का है—“सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर विषय :- रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरी एच.कुमार एण्ड कम्पनी के नाम से फर्म है, जिसकी फ़ैक्ट्री जी 1-924, फ़ैज तृतीय, सीतापुरा, इन्डस्ट्रीयल एरिया में है एवं शोरूम सांगानेरी गेट पर एच. कुमार एण्ड कम्पनी के नाम से है। जिसके सी.एस. श्री महिपत राज मुहणोत थे, जिनका देहान्त हो गया। जिसका भतीजा श्री पुनीत मुहणोत नाम का हमारा पुराना सी.ए. है जो लगभग पिछले 04-05 साल से है। इसके बाद आज से करीबन 02 साल पहले हमने नया सी.ए. रख लिया। दिनांक 28.04.2022 को पुराने सी.ए. श्री पुनीत मुहणोत ने अपने मोबाइल नं. 7976683013 से मेरे मोबाइल नं. 9001999355 पर वाट्स अप कॉल किया और कहा कि आपके विरुद्ध इनकम टैक्स विभाग में फाईल चल रही है, जिसके नम्बर मुझे पूनीत ने 83/21 बताया था। इसके बाद मैंने श्री पुनीत मुहणोत का घर बुलाया। इसके बाद श्री पुनीत मुहणोत मेरे घर आकर बताया कि आपके फ़ैक्ट्री के, आपके मकान के तथा आपकी सांगानेरी गेट की दूकान का फोटो तथा विडियोग्राफी इनकम टैक्स विभाग में है, जिसकी फाईल चल रही है। उस फाईल को बन्द करवाने के लिए श्री पुनीत मुहणोत ने मुझे से 05 लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। श्री पुनीत मुहणोत ने कहा कि 05 लाख रुपये में से 03 लाख रुपये डी.जी. साहब (इन्वेस्टीगेशन) को देने पडेगें तथा शेष 02 लाख रुपये श्री आलोक जैन-आई.टी.ओ., डी.डी.आई. टी. साहब, ए.डी.आई.टी. साहब व अन्य लेंगे। मैं पुनीत मुहणोत व आयकर विभाग के अधिकारियों को 05 लाख रुपये रिश्वत के नहीं देना चाहता हूं। मेरी उपरोक्त से कोई उधार लेन देन नहीं है और ना ही कोई रंजिश है। इनको रंगे हाथों रिश्वत देते हुये पकडवाना चाहता हूं। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। इस संबंध में श्री पूनीत मुहणोत द्वारा अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल पर वाट्सअप कॉल कर की गई बातचीत मेरे मोबाइल में सेव है। एसडीप्रार्थी जगदीश कुमार पुत्र श्री मंधाराम उम्र 61, सालजाति सिधी निवासी प्लाट नं. 104, हिम्मत नगर पूर्व, गोपालपुरा मोड, टोक रोड, जयपुर मोबाइल नं. 9001999355”। परिवादी ने टाईपशुदा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताये। श्री पूनीत मुहणोत द्वारा अपने मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर वाट्सअप कॉल कर रिश्वत के संबंध में की गई बातचीत जो परिवादी के मोबाइल में सेव है को सुनकर परिवादी को हिदायत की गई कि उक्त वाट्सअप कॉल वार्ता को अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें। प्रार्थना पत्र के अवलोकन, परिवादी के मोबाइल में सेव वाट्सअप कॉल वार्ता एवं मजीद दरियाफ्त से मामला संदिग्ध द्वारा परिवादी श्री जगदीश कुमार से उसकी सीतापुरा स्थित फ़ैक्ट्री एवं सांगानेरी गेट स्थित शोरूम के विरुद्ध इनकम टैक्स विभाग में चल रही फाईल का निस्तारण करवाने की ऐंज में रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का एक विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें में San Disk 32 GB के माईक्रो एसडी कार्ड डालकर, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं माईक्रो एसडी कार्ड के सभी फॉल्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डरको चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसके पश्चात समय 02:35 पी.एम. पर परिवादी श्री जगदीश कुमार ने अपने मोबाइल नम्बर 90019-99355 से संदिग्ध श्री पुनीत मोहनोत, सी.ए. के मोबाइल नम्बर 79766-83013 पर जरिये वाट्सअप कॉल किया तो संदिग्ध ने आधे घंटे बाद कॉल ब्रेक करने की बात कही। उक्त वार्ता को परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद समय 03:26 पी.एम. पर परिवादी श्री जगदीश कुमार के मोबाइल नम्बर 90019-99355 पर संदिग्ध श्री पुनीत मोहनोत, सी.ए. ने अपने मोबाइल



नम्बर 79766-83013 से वाट्सअप कॉल किया जिसको परिवारी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत सी.ए. ने परिवारी श्री जगदीश कुमार से उसकी सीतापुरा स्थित फैक्ट्री एवं सांगानेरी गेट स्थित शोरूम के विरुद्ध इनकम टैक्स विभाग में चल रही फाईल का निस्तारण इनकम टैक्स अधिकारियों से करवाने की ऐंज में पांच लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई। इस पर परिवारी द्वारा संदिग्ध से आयकर विभाग के अधिकारियों का नाम पूछने एवं उनसे मिलवाने की कहने पर संदिग्ध ने कहा कि मेरी इस सम्बंध में आयकर विभाग के श्री आलोक जैन, आई.टी.ओ. से बात हो चुकी है तथा आज रात को मैं श्री आलोक जैन से बातचीत करके उनसे आपकी मिटिंग करवाने के सम्बंध में आपको बता दूंगा। इसके बाद समय 03.50 पी.एम. पर श्री पूनित मुहणोत,सी.ए. ने आयकर विभाग के श्री आलोक जैन, आई.टी.ओ. से बातचीत करके परिवारी से मिटिंग करवाने की बात परिवारी को आज रात्रि में जरिये फोन बताने के लिये कहा है। परिवारी को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

इसके बाद दिनांक 17.05.2022 को समय 02.34 पी.एम. परिवारी श्री जगदीश कुमार ने अपने मोबाइल नं. 9001999355 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 9571744744 पर वाट्सअप कॉल कर बताया कि श्री पूनित मुहणोत सी.ए. ने अपने मोबाइल नं. 7976683013 से मेरे मोबाइल नं. 9001999355 पर वाट्सअप कॉल करके बताया कि वो मेरे काम के संबंध में बातचीत करने के लिए आज शाम का 7-8 बजे के बीच मेरे घर पर आयेगा। चूंकि संदिग्ध ने शाम को परिवारी के घर पर आकर उसके काम के संबंध में बातचीत करने के लिए कहा है। अतः मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा शाम को परिवारी के घर पहुंचकर रिश्वत मांग के संबंध में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करने का निर्णय लिया गया। परिवारी को हिदायत मुनासिब की गई। इसके बाद समय 06.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रूपकिशोर कानि. नं. 74 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरो मुख्यालय से परिवारी श्री जगदीश कुमार के निवास प्लाट नं. 104, हिम्मत नगर पूर्व, जयपुर होकर परिवारी श्री जगदीश कुमार के निवास प्लाट नं. 104, हिम्मत नगर पूर्व, जयपुर पहुंचा,जहां पर परिवारी श्री जगदीश कुमार व उसका पुत्र श्री हरिश मौजूद मिले। इसके बाद संदिग्ध के परिवारी के घर आने के इन्तजार में मुकीम हुआ। इसके बाद समय 08.00 पी.एम पर परिवारी के घर की बेल बजने पर परिवारी ने बैठक के गेट से झांक कर बताया कि श्री पूनित मुहणोत सी.ए. गेट पर आ गया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करके परिवारी को सुपुर्द कर संदिग्ध के साथ रिश्वत मांग के संबंध में होने वार्ता को रिकार्ड करने की हिदायत की गई। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रूपकिशोर कानि. के बैठक के बगल में स्थित कमरे में अपना छुपाव करते हुये मुकीम रहा। इसके बाद समय 08.40 पी.एम. पर परिवारी श्री जगदीश कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बन्द कर सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवारी ने बताया कि श्री पूनित मुहणोत सी.ए. ने कहा कि मेरी आलोक जैन साहब से बात हुई थी, उन्होने आप से मिलने के लिए मना कर दिया, आपकी फैक्ट्री एवं शोरूम के विरुद्ध आयकर विभाग में दर्ज इनवेस्टीगेशन की फाईल को क्लोज करवाने के लिए कुल पांच लाख रूपये की रिश्वत राशि देनी पड़ेगी। जिसमें से तीन लाख रूपये रिश्वत के एडवांस में देने पड़ेंगे जो डी.जी. इनवेस्टीगेशन साहब को जायेंगे, शेष बचे 02 लाख रूपये रिश्वत के आई.टी.ओ.श्री आलोक जैन साहब, डी.डी.आई.टी. श्री ऋषिराज यादव, आई.आर.एस., ए.डी.आई.टी. श्री पी.आर. मीणा, आई.आर.एस. व अन्य को देने पड़ेंगे जो आप काम होने के बाद आराम से दे सकते हो, इसके बाद मेरे द्वारा मेरे लडके हरिश को आयकर विभाग के संबंधित अधिकारी से मिलवाने की कहने पर श्री पूनित मुहणोत सी.ए. ने कहा कि मैं कल आलोक जैन साहब से एक बार फिर बात करके आपको बताउंगा। इसके बाद डिजिटल वाईस रिकार्डर को चला कर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवारी के कथनों ताईद हुई। इसके बाद परिवारी को हिदायत मुनासिब कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रूपकिशोर कानि. मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के परिवारी के निवास से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय आया और डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। परिवारी एवं संदिग्ध के बीच वार्ता होने एवं परिवारी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने पर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

इसके बाद दिनांक 20.05.2022 को समय 08.38 ए.एम. पर परिवारी श्री जगदीश कुमार ने अपने मोबाइल नम्बर 9001999355 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9571744744 पर वाट्सअप कॉल करके बताया कि श्री पूनित मुहणोत सी.ए. ने मेरे से अपने मोबाइल नम्बर 79766-83013 से मेरे मोबाइल नम्बर 9001999355 पर जरिये वाट्सअप आयकर विभाग में मेरी फर्म के विरुद्ध चल रही फाईल के निस्तारण के सम्बंध में बातचीत की तथा कहा कि मैं आपको



आयकर विभाग के सम्बंधित अधिकारियों से नहीं मिलवा पाउंगा क्योंकि सम्बंधित अधिकारी सरकारी कर्मचारी होने एवं पकड़े जाने के भय के कारण आप से नहीं मिलना चाहते हैं। श्री आलोक जैन से इस सम्बंध में मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि पूनित जी ऐसे मैटर में हमारा नाम भी मत डिस्कलोज किया करो। जिस पर मैंने (परिवादी) कहा कि पूनित जी मैं अभी बिजी हूँ, दोपहर में आप से बात करता हूँ। चुकी परिवादी अपने काम के सम्बंध में संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत से दोपहर में बातचीत करेगा इसलिये परिवादी को हिदायत मुनासिब कर दोपहर में मन पुलिस निरीक्षक ने मय रिकॉर्डर परिवादी के घर पर उपस्थित होकर परिवादी एवं संदिग्ध में मध्य रिश्वत के सम्बंध में होने वाली बातचीत को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद समय 12.35 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक पूर्व से उक्त कार्यवाही में काम में लिये जा रहे डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री जगदीश कुमार के निवास प्लाट नं. 104, हिम्मत नगर पूर्व, जयपुर पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री जगदीश कुमार मौजूद मिले। परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9001999355 से श्री पूनित मुहणोत के मोबाईल नम्बर 79766-83013 पर वाट्सअप कॉल किया गया जो श्री पूनित मुहणोत द्वारा रिसेव नहीं किया गया। समय 01:04 पी.एम. पर संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत ने अपने मोबाईल नम्बर 79766-83013 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9001999355 पर वाट्सअप कॉल किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध पूनित मुहणोत ने परिवादी से कहा कि आपको कुल 5 लाख रुपये में से 3 लाख रुपये एडवांस देने पड़ेगे जिस पर परिवादी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर पूनित ने कहा कि एक बार आप 2 लाख रुपये सोमवार मंगलवार तक दे दो। मैं आपकी फाईल को आज ही आयकर विभाग में जाकर प्रोसीड करवा दूंगा। परिवादी को हिदायत मुनासिब कर मन पुलिस निरीक्षक मय रिकॉर्डर के रवाना ब्यूरो कार्यालय हुआ। ब्यूरो कार्यालय पहुंच कर डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। चुकि संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत ने परिवादी श्री जगदीश कुमार से उसकी फर्म के विरुद्ध आयकर विभाग में चल रही फाईल के निस्तारण की ऐवज में आयकर विभाग के आई.टी. ओ. श्री आलोक जैन, डी.डी.आई.टी., ए.डी.आई.टी. एवं डी.जी. इनवेस्टीगेशन के लिये कुल 5 लाख रुपये की रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को दो लाख रुपये की रिश्वत सोमवार-मंगलवार तक देने के लिये कहा है। संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत परिवादी श्री जगदीश कुमार को आयकर विभाग के सम्बंधित अधिकारियों से मिलवाने के लिये मना कर रहा है। रिश्वत मांग सत्यापन पूर्ण हो चुका है। सोमवार-मंगलवार को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 23.05.2022 को परिवादी ने वाट्सअप कॉल पर बताया कि कि आज शाम को मैं श्री पूनित मुहणोत से उसको रिश्वत राशि देने के स्थान व समय के सम्बंध में बातचीत करूंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा शाम को परिवादी के घर पहुंचकर परिवादी की संदिग्ध के साथ रिश्वत देने के सम्बंध में होने वाली बातचीत को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया गया। समय 08.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर समय 08:20 पी.एम पर परिवादी श्री जगदीश कुमार के निवास प्लाट नं. 104, हिम्मत नगर पूर्व, जयपुर पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री जगदीश कुमार मौजूद मिले। परिवादी द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9001999355 से श्री पूनित मुहणोत के मोबाईल नम्बर 79766-83013 पर वाट्सअप कॉल किया गया। जो श्री पूनित मुहणोत द्वारा रिसेव नहीं किया गया। समय 08:59 पी.एम. पर संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत ने अपने मोबाईल नम्बर 79766-83013 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 9001999355 पर वाट्सअप कॉल किया जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। संदिग्ध पूनित मुहणोत ने परिवादी से कहा कि आप दो लाख रुपये मुझे कल 4 पी. एम. पर दे दो। मैं कल 4:30 पी.एम. के आस पास आयकर विभाग जाउंगा तो चार बजे दो लाख रुपये आपसे, आप के घर से लेता हुआ निकल जाउंगा। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कल दोपहर में संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2 लाख रुपये लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत की गई। मन पुलिस निरीक्षक मय रिकॉर्डर के परिवादी के निवास से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। चुकि संदिग्ध श्री पूनित मुहणोत परिवादी श्री जगदीश कुमार से 2 लाख रुपये की रिश्वत राशि लेने दिनांक 24.05.2022 को समय करीब 4 पी.एम पर परिवादी के घर आयेगा। अतः दिनांक 24.05.2022 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 24.05.2022 को समय 01.20 पी.एम. पर परिवादी श्री जगदीश कुमार तथा पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मणिशंकर छाबडी, क्षेत्रीय वन अधिकारी-द्वितीय, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, झालाना, जयपुर एवं श्री दीप सिंह राजावत हाल-वन रक्षक, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, झालाना, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। मन

*(Signature)*

पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री जगदीश कुमार से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना-पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद समय 02.00 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जगदीश कुमार से संदिग्ध श्री पुनित मुहणोत, सी.ए. को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि 2 लाख रुपये पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 2000/- रुपये के 100 नोट कुल 2 लाख रुपये निकाल कर मन पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उसके बाद कार्यालय कर्मचारी श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त नम्बरी नोटों कुल 2 लाख रुपये को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 से अच्छी तरह से फिनोफथलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद परिवादी श्री जगदीश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री मणिशंकर छाबडी से लिवायी गयी, तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नहीं रहने दी गयी। तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश कुमार की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफथलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 से रखवाया गया तथा श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 से फिनोफथलीन पॉउडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी। उसके पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें ट्रेप बाक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकलवाकर उसमें से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर साफ पानी से भरे कांच के गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया, जो रंगहीन रहा, जिसको सभी को दिखाया गया। इसके पश्चात उक्त घोल में श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 की फिनोफथलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री जगदीश कुमार व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफथलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध ने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफथलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश कुमार को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नं. 9571744744 पर अपने मोबाइल से मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करें। इसके पश्चात गवाहान को हिदायत की गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत की गई कि वो संदिग्ध व्यक्ति को रिश्वत राशि देने के पहले व पश्चात ना तो उससे हाथ मिलाये और यदि आवश्यक हो तो हाथ जोडकर नमस्कार करें। परिवादी को यह भी हिदायत की गई कि वह ध्यान रखे कि संदिग्ध कौन से हाथ से पैसे ले रहा है और वह गिनता है या नहीं तथा लेने के बाद रिश्वत राशि को कहां पर रखता है। तत्पश्चात श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैन भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शिशियां, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादी को छोड़कर सभी की आपस में एक दूसरेकी जामा तलाशी लिवाई गई तथा सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई। कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को आलमारी से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। रिकॉर्डर को परिवादी के घर पहुंचकर संदिग्ध के रिश्वत राशि लेने हेतु परिवादी के घर पहुंचने से पूर्व मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चालु करके परिवादी को सुपुर्द किया जावेगा। परिवादी श्री जगदीश कुमार को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफथलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03:10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक सुभाष मील, हमराह श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मयहैड कानि. श्री करण सिंह नं. 67, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519, श्री रूपकिशोर कानि. 74, श्री हरकेश कानि. 69, श्री रिजवान कानि. 167 श्रीमति राजू देवी महिला कानि. 42 मय स्वतंत्र गवाहान श्री मणिशंकर छाबडी, श्री दीप सिंह राजावत एवं परिवादी

*(Signature)*

श्री जगदीश कुमार के मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय सरकारी वाहन, चालक श्री चिमनाराम नं. 347, प्राईवेट वाहन और परिवारी के स्वयं के वाहन से ट्रेप कार्यवाही हेतु पृथक पृथक मुनासिब हिदायत दी जाकर ब्यूरो मुख्यालय से रवाना हुये। नोटों पर फिनोफ्थलीन पावडर लगाने वाले कर्मचारी श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। चूंकि संदिग्ध श्री पुनीत मुहणोत सी.ए. द्वारा आयकर विभाग के अधिकारियों के लिये रिश्वत की मांग की गई है अतः पृथक से एक अन्य टीम श्री शिवराज सिंह, पुलिस निरीक्षक, मय श्रीराम गुर्जर कानि.नं. 295 एवं, विरेन्द्र कानि. 212 के तैयार कर उक्त टीम को अपनी उपस्थिति आयकर विभाग के कार्यालय के नजदीक रखने की हिदायत मुनासिब की गई। इसके बाद समय 03:25 पी.एम. मन पुलिस निरीक्षक मय ए.सी.बी टीम मय स्वतंत्र गवाहान के परिवारी के घर प्लॉट नम्बर 104, हिम्मत नगर पूर्व, गोपालपुरा मोड, टोक रोड, जयपुर के पास पहुंचा। जहां पर वाहनों को साईड में खड़ा करवाया जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवारी, स्वतंत्र गवाहान श्री मणिशंकर छाबडी, श्री दीप सिंह राजावत, कानि. रूपकिशोर 74, कानि राजेन्द्र 519 के परिवारी के घर के अन्दर पहुंच कर संदिग्ध श्री पुनीत मुहणोत के आने के इंतजार में मुकिम हुये। शेष ट्रेप टीम सदस्यों को परिवारी के घर के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम रहने की हिदायत की गई। इसके बाद समय करीब 03:50 पी.एम परिवारी के घर की बैल बजी जिस पर परिवारी ने खिडकी से देखकर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि पुनीत मोहनोत गेट पर आ गया है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवारी श्री जगदीश कुमार को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय टीम के परिवारी के घर के अन्दर छुपाव लेते हुये एक कमरे में मुकिम रहा। समय 04:06 पी.एम पर परिवारी ने मन पुलिस निरीक्षक को गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप टीम सदस्यों को लेकर परिवारी के घर की बैठक कक्ष में प्रवेश किया जहां परिवारी से रिकॉर्डर प्राप्त कर, रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में रखा गया। परिवारी श्री जगदीश कुमार के पास गेट के पास सोफे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, दो दो हजार रुपये के नोटों की गडडी को गिन रहा था। उसके पास बगल में ही उसके बांयी ओर सोफे पर पांच-पांच सौ के नोटों की दो गडडियां रखी हुई थी। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने स्वयं एवं टीम का परिचय देते हुये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480 होना बताया। इस पर आरोपी श्री पुनीत मोहनोत द्वारा गिने जा रहे दो दो हजार रुपये के नोटों की गडडी को स्वतंत्र गवाह श्री मणिशंकर छाबडी के द्वारा आरोपी के हाथ से लिवाये जाकर उसके पास सुरक्षार्थ रखवाये गये। इसके पश्चात आरोपी श्री पुनीत मोहनोत का दाहिना हाथ श्री राजेन्द्र सिंह कानि. से एवं बांया हाथ श्री रूपकिशोर कानि. 74 से कलाई से पकडवाया गया। इसके पश्चात आरोपी से परिवारी श्री जगदीश कुमार से दो लाख रुपये रिश्वत प्राप्त करने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मेरा फैमेली कोर्ट में डायवर्स का केस चल रहा है जिसके लिये मुझे रूपयों की जरूरत है इसलिये मैंने ये 2 लाख रुपये श्री जगदीश कुमार जी से लिये हैं। मुझे डायवर्स केस के निस्तारण हेतु लगभग 20 लाख रुपये की जरूरत है, इसलिये मैं पैसे इकठ्ठे कर रहा हूँ। इस पर परिवारी ने बताया कि श्री पुनीत मोहनोत ने अभी अभी मेरे से मेरी फर्म की आयकर विभाग में चल रही फाईल के निस्तारण की ऐवज में 2 लाख रुपये रिश्वत के प्राप्त किये हैं तथा बताया कि पुनीत मोहनोत पांच पांच सौ रुपये की दो गडडियां स्वयं साथ लेकर आया था जो उसने अपने बगल में सोफे पर रख रखी हैं। आरोपी ने खुद के बगल में रखे पांच पांच रुपये के नोटों की दो गडडियों के बारे पूछने पर बताया कि ये एक लाख रुपये मैं स्वयं मेरे घर से लेकर आया हूँ। इस पर परिवारी श्री जगदीश कुमार ने बताया कि श्री पुनीत मोहनोत ने मेरे से कुल 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर 3 लाख रुपये एडवांस में देने हेतु कहा था, जिस पर मेरे द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर श्री पुनीत ने मुझ से कहा था कि आप दो लाख रुपये एडवांस में मुझे दे दो तथा एक लाख रुपये मैं स्वयं उसमें मिलाकर तीन लाख रुपये एडवांस के रूप में आयकर विभाग के अधिकारियों को दूंगा। इसके पश्चात ट्रेप बाक्स से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर उनमें साफ पानी डलवाकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर मिश्रण तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उसके पश्चात एक ग्लास के घोल में आरोपी पुनीत मोहनोत के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कमशः मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनों शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री पुनीत मोहनोत के बांये हाथ की अंगुलियों को दूसरे ग्लास के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो मिश्रण का रंग गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर कमशः मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित किया गया। उक्त दोनों शीशीयों को सीलचीट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।

(3/12)

इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री मणिशंकर छाबडी के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि के दो-दो हजार की गडडी के नोटो का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से करवाया गया तो उक्त नोट फर्द पेशकशी रिश्वत राशि में अंकित नोटो से हुबहू पाये गये। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि दो-दो हजार के कुल 100 नोट कुल 2 लाख रूपये पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी श्री पुनीत मोहनोत द्वारा स्वयं के साथ लाई गई पांच पांच रूपये की दो गडडियां जो उसने अपने बगल में सौफे पर रख रखी थी को स्वतंत्र गवाहान से उठवाकर गिनवाया गया तो पांच-पांच रूपये के दो सौ नोट कुल एक लाख रूपये पाये गये। उक्त एक लाख रूपये की राशि को बतौर वजह सबूत नियमानुसार कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात गवाह श्री मणिशंकर छाबडी से आरोपी श्री पुनीत मोहनोत की तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की जेब में एक मोबाईल एम.आई. सिल्वर गोल्ड जिसमें जिओ की मोबाईल नम्बर 7976683013 की सिम लगी हुई है। उक्त मोबाईल चैक किया गया तो मोबाईल में परिवारी श्री जगदीश कुमार के मोबाईल नम्बर 9001999355 Jagdish Khanchandani के नाम से सेव है एवं परिवारी के नम्बर पर परिवारी के साथ हुई वाट्सअप चैट एवं वाट्सअप कॉल सेव है। आरोपी की परिवारी के साथ हुई वाट्सअप चैट एवं वाट्सअप कॉलो जो आरोपी के मोबाईल में सेव है, का स्क्रीन शॉट लेकर उनका प्रिन्ट निकालकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी लिया गया। आरोपी के उक्त मोबाईल को बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर, थैली को सील मोहर कर मार्का MOB अंकित कर कब्जा ए.सी.बी लिया गया। आरोपी की कार मारुती अल्टो रंग सफेद नम्बर आरजे 45 सीजी 9227 की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीप सिंह राजावत से लिवाई गई तो आरोपी की कार में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पूर्व में पृथक से एक टीम श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में तैयार कर आयकर विभाग के आस पास उपस्थित रहने की हिदायत की गई थी, को उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार वापस ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित होने हेतु जरिये मोबाईल निर्देशित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही से श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480 के द्वारा परिवारी श्री जगदीश कुमार से उसकी फर्म के विरुद्ध आयकर विभाग में चल रही फाईल के निस्तारण की ऐवज में आयकर विभाग के आई.टी.ओ. श्री आलोक जैन, डी.डी.आई.टी., ए.डी.आई. टी. एवं डी.जी. इनवेस्टीगेशन के लिये 5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 24.05.2022 को परिवारी श्री जगदीश कुमार से 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना आरोपी श्री पुनीत मोहनोत एवं अन्य के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। पूर्व में परिवारी से प्राप्त किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सरसरी तौर पर सुना गया जिसमें रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्डर होना पाई गई, जिन्हे बन्द कर सुरक्षित रखा गया। उक्त हाथ धुलाई, बरामदगी रिश्वत राशि एवं जप्ती मोबाईल की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवारी श्री जगदीश कुमार की निशार्दही एवं स्वतंत्र गवाहान श्री मणिशंकर छाबडी व श्री दीप सिंह राजावत की मौजूदगी मे घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात की फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480 को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर नियमानुसार अपने जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना की सूचना उसके पिता श्री अर्जुन राज मोहनोत को उसके मोबाईल नम्बर 9414670565 पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद आरोपी श्री पुनीत मोहनोत को रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के दौरान उसके एवं परिवारी श्री जगदीश कुमार के मध्य हुई वार्ताए जिनको परिवारी श्री जगदीश कुमार द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। आरोपी की उक्त रिकार्ड वार्ता का मिलान आरोपी की नमूना आवाज से करवाये जाने हेतु आरोपी श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480 को गवाहन श्री मणिशंकर छाबडी व श्री दीप सिंह राजावत के समक्ष अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा तो उन्होंने अपनी आवाज का नमूना देने से इन्कार किया। इस पर आरोपी को पुनः गवाहान के समक्ष बताया कि आप अपनी आवाज का नमूना नहीं देंगे तो यह माना जाएगा कि उक्त वार्ताओं में रिकॉर्ड वार्ता आपकी ही है। इस पर भी आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से स्पष्ट इन्कार किया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवारी श्री जगदीश कुमार को कल दिनांक 25.05.2022 ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर मनु पुलिस निरीक्षक सुभाष मील, हमराह श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय श्री मांगीलाल उप अधीक्षक पुलिस, हैड कानि. श्री

*(Signature)*

करण सिंह नं. 67, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 519, श्री रूपकिशोर कानि. 74, श्री हरकेश कानि. 69, श्री रिजवान कानि. 167 श्रीमति राजू देवी महिला कानि. 42 मय स्वतंत्र गवाहान श्री मणिशंकर छाबडी, श्री दीप सिंह राजावत मय ट्रेप उपकरण मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री पुनीत मोहनोत मय सील्डशुदा आर्टिकल्स मय सील्डशुदा बरामद रिश्वत राशि 2 लाख रूपये मय बरामद राशि एक लाख रूपये एवं जामा तलाशी के सामान एवं आरोपी की कार मारुती अल्टो नम्बर आरजे 45 सीजी 9227 के प्लॉट नम्बर 104 हिम्मत नगर पूर्व जयपुर से रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा, जहां पर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री पुनीत मोहनोत को कार्यालय में बैठाकर कानि. हरकेश 69 को आरोपी की सुरक्षा हेतु मामूर किया गया। आरोपी की कार मारुती अल्टो को सुरक्षार्थ ब्यूरो कार्यालय परिसर की पार्किंग में खडा करवाया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षार्थ कार्यालय की अलमारी में रखा गया तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्त सील्डशुदा आर्टिकल्स एवं बरामद सील्डशुदा रिश्वत राशि 2 लाख रूपये मय बरामद संदिग्ध राशि 1 लाख रूपये मय जामा तलाशी सामान को प्रभारी मालखाना, प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर के नाम पत्रांक 728 दिनांक 24.05.2022 जारी कर जमा मालखाना करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 25.05.2022 को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 16.05.2022 को परिवादी के मोबाईल नम्बर 90019-99355 पर आरोपी श्री पुनीत मोहनोत के द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 79766-83013 से की गई वाट्सअप कॉल वार्ता जिसको परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, दिनांक 17.05.2022 को परिवादी एवं आरोपी श्री पुनीत मोहनोत के मध्य आमने सामने हुई वार्ता जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, दिनांक 20.05.2022 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वाट्सअप कॉल वार्ता जिसको परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया, दिनांक 23.05.2022 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वाट्सअप कॉल वार्ता जिसको परिवादी के फोन का स्पीकर ऑन करवाकर ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया तथा दिनांक 24.05.2022 को रिश्वत लेन देन के दौरान परिवादी श्री जगदीश कुमार एवं आरोपी श्री पुनीत मोहनोत सी.ए. के मध्य आमने-सामने हुई वार्तायें, जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ताएँ रिकॉर्डर में लगाये गये San Disk 32 GB मेमोरी कार्ड में दर्ज है। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड उक्त वार्ताओं को लेपटॉप में एक फोल्डर में सेव किया गया। इसके पश्चात उक्त वार्ताओं की डी.वी.डी. बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डी. मंगवायी जाकर तीनों डीवीडी को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से फोल्डर में सेव रिकार्ड वार्ताओं को तीनों डीवीडी में बर्न किया गया। तीनों डी.वी.डी. को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो तीनों में उक्त वार्तायें रिकार्ड होनी पाई गई। डी.वी.डी में रिकॉर्ड वार्ताओं को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री जगदीश कुमार की मौजूदगी में लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से सुना जाकर पूर्व से तैयार वार्ता रूपांतरण से शब्द ब शब्द मिलान किया गया, तो डी.वी.डी. में रिकार्ड वार्ता, वार्ता रूपांतरण के अनुसार होनी पाई गई। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में परिवादी श्री जगदीश कुमार ने अपनी तथा आरोपी श्री पुनीत मोहनोत की आवाज की पहचान की गई। इसके पश्चात तीनों डीवीडी पर कमशः मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A-1 व मार्का A-2 डीवीडी को दो पृथक पृथक डीवीडी कवर में रखकर, दो पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैलियों में रख कर थैलियों पर कमशः मार्का A-1, A-2 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मार्का A-3 डीवीडी. को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड San Disk 32 GB जिनमें उक्त वार्तायें रिकार्ड है को एक प्लास्टिक छोटी पारदर्शी की खाली डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपड़े की थैली में रख कर मार्का SD अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया।


अब तक की कार्यवाही से प्रकरण में आरोपी श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480 के द्वारा परिवादी श्री जगदीश कुमार से उसकी फर्म के विरुद्ध आयकर विभाग में चल रही फाईल के निस्तारण की ऐवज में आयकर विभाग के आई.टी.ओं. श्री आलोक जैन, डी.डी.आई.टी., ए.डी.आई.टी. एवं डी.जी. इनवेस्टीगेशन के लिये 5 लाख रूपये की रिश्वत की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में दिनांक 24.05.2022 को परिवादी श्री जगदीश कुमार से 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. पाया गया है। आयकर विभाग के

*Am*



अधिकारियों एवं आरोपी श्री पुनीत मोहनोत के बीच मिलीभगत विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट हो पायेगी।


अतः आरोपी श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत, उम्र 44 साल, जाति जैन, निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480 प्राईवेट व्यक्ति व अन्य के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. का पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में पेश है।



(सुभाष मील)  
पुलिस निरीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
एस.यू. द्वितीय, जयपुर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में श्री पुनीत मोहनोत पुत्र श्री अर्जुन राज मोहनोत निवासी-बी-59, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल सी.ए. रजिस्ट्रेशन नम्बर 079480, प्राईवेट व्यक्ति एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 205/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
25.5.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1819-22 दिनांक 25.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

  
25.5.22  
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।